डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. बि.पू.भु./04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108 भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247]   भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जून 2005—ज्येष्ठ 23, शक 1927

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून, 2005

अधिसूचना

क्रमांक 4003—एफ.आर.एस.—17—तेरह—2002 :मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (कमांक 4 सन् 2001) की धारा 23 की उपधारा (1), (2) तथा (3) , धारा 24 तथा धारा 56 की उपधारा (2) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 131 की उपधारा (1), (2), (5), (6) और (7) तथा धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 में, एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में ,-

1. नियम 3 में,-
   (एक) खण्ड (ड.) में, शब्द "मान्य" के स्थान पर, शब्द "कार्यरत" स्थापित किया जाए ;
   (दो) नियम 3 के खण्ड (च) में, शब्द "अधिनियम" के स्थान पर, शब्द "अधिनियम/केन्द्रीय अधिनियम" स्थापित किए जाएं ;
   (तीन) खण्ड (ज) में, शब्द "संभागों" के स्थान पर शब्द "संभागों की अधिकारिता का क्षेत्र" स्थापित किये जाएं ;

(चार) खण्ड (झ) में, शब्द "संभागों" के स्थान पर, शब्द "संभागों की अधिकारिता का क्षेत्र" स्थापित किए जाएं ;

(पांच) खण्ड (ञ) में, शब्द "संभागों" के स्थान पर, शब्द "संभागों की अधिकारिता का क्षेत्र" स्थापित किए जाएं ;

(छह) खण्ड (ध) में, शब्द "अधिनियम" के स्थान पर, शब्द "अधिनियम/केन्द्रीय अधिनियम" स्थापित किए जाएं ;

(सात) खण्ड (न) में, शब्द "अधिकार और दायित्व" के स्थान पर, शब्द "अधिकार और दायित्व, तथा कार्मिक" स्थापित किए जाएं ;

2. नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए , अर्थात् :–

"5. राज्य को उपक्रम का अंतरण. "राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली अंतरण की तारीख को या से, कार्मिक संबंधी दायित्व सम्मिलित करते हुए, अनुसूची 'क' से 'ड.' में यथा विनिर्दिष्ट मंडल की संपत्तियां तथा समस्त हित, अधिकार तथा दायित्व, इन योजना नियमों के अधीन अंतरण योजना के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे।"।

3. नियम 6 में, उपनियम (1), (2), (3), (4) तथा (5) में, शब्द "अधिनियम" के स्थान पर, शब्द "अधिनियम/केन्द्रीय अधिनियम" स्थापित किए जाएं ।

4. नियम 7 में ,-

(एक) उपनियम (2) के खण्ड (ख) में, शब्द "समझे जाएंगे" के स्थान पर, शब्द "समझे जाएंगे" स्थापित किए जाए।

(दो) उपनियम (3) में, शब्द "अधिनियम" के स्थान पर, शब्द "अधिनियम/केन्द्रीय अधिनियम" स्थापित किए जाएं ।

(तीन) उप नियम (4) में, अंत में, निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाए ,- अर्थात्:–
"तथापि, इन योजना नियमों के अधीन पुनर्गठन तथा अंतरण के समय किसी कार्मिक की छंटनी नहीं की जाएगी तथा उनकी सेवा, रैंक और पारस्परिक ज्येष्ठता संरक्षित रखी जाएगी" ;

(चार) उप नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(5) राज्य सरकार, उपनियम (4) के प्रयोजन के लिए जेनको, ट्रांसको, डिस्कामों और मण्डल के परामर्श से ,-

(क) कार्मिकों से उपनियम (2) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन कम्पनी में उनके समनुदेशन और अंतरिती में उनके आमेलन के पूर्व अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए ;

(ख) व्यथित कार्मिकों को, जो यथास्थिति कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों या मंडल के संघों से सहायता ले सकेंगे, को सुनने के लिए;

(ग) सुनवाई के पश्चात् ऐसे अंतरण और आमेलन पर ऐसे समय के भीतर जैसा कि राज्य सरकार, इस प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, कार्मिकों के वृत्ति (कैरियर) संभावनाओं को और अभ्यावेदन पर सम्यक् ध्यान देते हुए, सिफारिश करने के लिए,

एक समिति का गठन करेगी जैसी कि राज्य सरकार उपयुक्त समझे।" ;

(पांच) उप नियम (6) में, शब्द "सिफारिश" के स्थान पर, शब्द "कारणों तथा तर्कों भरी सिफारिश" स्थापित किए जाएं।

(छह) उप नियम (7) में अंत में, निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाए ,- अर्थात्:—

"ऐसा अंतरण चाहे अंतरिती की संवर्ग संख्या (केडर स्ट्रेंथ) कुछ भी हो, विद्यमान सेवा शर्तों जिसमें केडर, वेतनमान और ऐसे अन्य लाभ सम्मिलित हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।" ;

(सात) उपनियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए , अर्थात् :—

"(8) अधिनियम / केन्द्रीय अधिनियम और इन योजना नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अंतरिती, इन योजना नियमों के अधीन उसे अंतरित किए गए, कार्मिकों की सेवा शर्तों को शासित करने वाले विनियमों को उपांतरित करने या नए विनियम विरचित करने के लिए हकदार होगा :

परन्तु ऐसे अंतरण पर निबंधन तथा शर्तें , उन शर्तों तथा निबंधनों से कम अनुकूल नहीं होंगे जो उन्हें लागू होते यदि अंतरण योजना के अधीन ऐसा अंतरण न हुआ होता जिसमें उनकी पदश्रेणी (रेंक), वेतनमान, वेतन, भत्ते, अन्य धन संबंधी प्रसुविधाएं और टर्मिनल प्रसुविधाएं आदि भी सम्मिलित हैं।" ;

(आठ) उपनियम (10) और (11) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

"(10) पेंशन निधियों तथा कार्मिकों से संबंधित अन्य निधियों में अंतरितियों द्वारा निधि देने के संबंध में उस सीमा तक, जिस तक कि कार्मिकों के अंतरण की तारीख को मंडल द्वारा निधि नहीं दी जाती है जिसमें उन संबंधित अंतरितियों द्वारा, जिन्हें कि वे कार्मिक अंतरित किए गए हों, अंतरण की तारीख के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को देय राशियों के भुगतान भी सम्मिलित हैं तथा निम्नलिखित इंतजाम ऐसे समय तक किए जाएंगे तथा ऐसे भुगतान मंडल द्वारा सम्यक् रूप से किए जाएंगे किन्तु ऐसा इंतजाम उन तक सीमित नहीं होगा:—

(क) बोर्ड के सभी कर्मी जो अंतरण के पश्चात् सेवानिवृत्त होते हैं उस अंतरिती के पेंशनर्स होंगे जहां ये कर्मी अन्तरित किए जाएं और उन्हें संबंधित अंतरिती द्वारा नियमित रूप से पेंशन

तथा अन्य टर्मिनल प्रसुविधाएं दी जाएंगी। ऐसे पेंशनर्स को टर्मिनल प्रसुविधाएं देने में संबंधित अंतरिती के कर्मियों के वेतन तथा मजदूरी के भुगतान के समान ही प्राथमिकता दी जाएंगी। तथापि अंतरण के दिनांक तक एम.पी.एस.ई.बी./एम.पी.इ.बी. में कर्मियों द्वारा दी गई पूर्व सेवाओं के लिए पेंशन तथा अन्य टर्मिनल प्रसुविधाएं के लिए अंशदान ट्रांसको द्वारा किए जाएंगे और अंतरिती के अधीन की गई सेवा के भाग के लिए संबंधित अंतरिती द्वारा अंशदान दिया जाएगा ।

(ख) ऐसे कर्मियों, जो अंतरण की तारीख के पश्चात् सेवानिवृत्त होते हैं, अंतरितियों द्वारा उनकी पेंशन तथा अन्य टर्मिनल प्रसुविधाओं के लिए , राज्य सरकार द्वारा सृजित किए जा रहे टर्मिनल प्रसुविधा ट्रस्ट में समुचित रकम के नियमित भुगतान के माध्यम से पृथक निधि जमा की जाएगी ।

(ग) प्रतिवर्ष संदेय पेंशन तथा अन्य टर्मिनल प्रसुविधाओं की रकम के साथ ही बोर्ड के ऐसे कर्मियों जो अंतरण की तारीख के पश्चात् सेवानिवृत्त होते हैं की भविष्य की पेंशन तथा अन्य टर्मिनल प्रसुविधाओं के भुगतान के लिए बनाई गई निधि के अभिदान (सबस्क्रिप्शन) , संबंधित अंतरिती के राजस्व पर , "टर्मिनल प्रसुविधा ट्रस्ट" में अपेक्षित निधि के बनने तक, भार होगा ।

(11) अंतरण की तारीख तक बोर्ड के विद्यमान पेंशनर्स के लिए टर्मिनल प्रसुविधाओं के लिए निधि और सम्यक् भुगतान के लिए निम्नलिखित इंतजाम किया जाएगा और ऐसे समय तक ऐसा भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा किन्तु ऐसा इंतजाम उन तक सीमित नहीं होगा :-

(क) कर्मियों के अंतरण के दिनांक तक बोर्ड के सभी विद्यमान पेंशनर्स, ट्रांसको को अंतरित समझे जाएंगे और ट्रांसको द्वारा ही उन्हें टर्मिनल प्रसुविधाएं नियमिति रूप से संदत्त की जाएंगी । विद्यमान पेंशनर्स को पेंशन तथा अन्य टर्मिनल प्रसुविधा को, ट्रांसको के कर्मियों के वेतन तथा मजदूरी के भुगतान के समान ही प्राथमिकता दी जाएगी ।

(ख) विद्यमान पेंशनर्स की पेंशन और अन्य टर्मिनल प्रसुविधाओं के लिए ट्रांसको द्वारा, राज्य सरकार द्वारा सृजित किए जा रहे टर्मिनल प्रसुविधा ट्रस्ट में, नियमित अभिदान के माध्यम से समुचित रकम पृथक रूप से जमा की जाएगी ।

(ग) प्रतिवर्ष संदेय पेंशन तथा अन्य टर्मिनल प्रसुविधा की रकम के साथ ही अंतरण की तारीख को विद्यमान पेंशनरों को भविष्य में संदेय पेंशन और अन्य टर्मिनल प्रसुविधाओं के लिए बनाई गई निधि में अभिदान (सबस्क्रिप्शन), ट्रांसको कंपनी के राजस्व पर, " टर्मिनल प्रसुविधा ट्रस्ट" में अपेक्षित निधि के बनने तक, भार होगा।

स्पष्टीकरणः– उप नियम 10 और 11 के प्रयोजन के लिए, पद (टर्म),–

(एक) "विद्यमान पेंशनर " से अभिप्रेत है बोर्ड से अंतरण की तारीख को पेंशन के लिए पात्र सभी व्यक्ति और इसमें सम्मिलित हैं ऐसे कार्मिक के परिवार के वे सदस्य जो पेंशन और अन्य टर्मिनल प्रसुविधाओं के हकदार है ,और

(दो) "सेवान्त (टर्मिनल)प्रसुविधाओं" से अभिप्रेत है उपदान (ग्रेच्युटी), पेंशन, मंहगाई भत्ता एवं अन्य लागू राहत, चिकित्सा फायदे और लागू अन्य फायदे जिनमें उक्त फायदे का मंडल में प्रचलित रीति से संगत समुचित पुनरीक्षण का अधिकार भी सम्मिलित होगा ।

5 अनुसूची –क में, –

(एक) प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्द "दायित्व" के पश्चात् कोष्ठक और शब्द "(जिसमें कार्मिकों से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं)" अन्तः स्थापित किए जाएं ।

(दो) उप शीर्ष – पांच –सामान्य के अधीन मद (2) में, शब्द "दायित्व" के पश्चात्, कोष्ठक और शब्द "(जिसमें कार्मिकों से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं)" अन्तः स्थापित किए जाएं ।

6. अनुसूची –ख में, –

(एक) प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्द "दायित्व" के पश्चात् कोष्ठक और शब्द "(जिसमें कार्मिकों से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं)" अन्तःस्थापित किए जाएं ।

(दो) उप शीर्ष –चार–सामान्य के अधीन,

(क) मद (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नई मद अन्तःस्थापित की जाए , अर्थात् :–

"(1 क) अधिसूचना कमांक 2491/13/2004 दिनांक 17.5.2004 के द्वारा 1.6.2004 से ट्रांसको, राज्य पारेषण उपयोगिता (एस.टी.यू.) घोषित किया गया है,

(1 ख) मध्य प्रदेश शासन के आदेश कमांक 2489/13/2004 दिनांक 17.5.2004 द्वारा जबलपुर में राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) स्थापित किया गया है और मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वतंत्र एजेंसी अधिसूचित किये जाने तक राज्य पारेषण उपयोगिता (एस.टी.यू.)द्वारा संचालित किया जाएगा ।"

(ख) मद (2) में, शब्द "दायित्व" के पश्चात् कोष्ठक और शब्द "(जिसमें कार्मिकों से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं)" अन्तःस्थापित किए जाएं ।

7 अनुसूची –ग में, –

(एक) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द "दायित्व" के पश्चात्, कोष्ठक और शब्द "(जिसमें कार्मिकों से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं)" अन्त:स्थापित किए जाएं ।

(दो) उप शीर्ष – चार –सामान्य के अधीन मद (2) में, शब्द "दायित्व" के पश्चात्, कोष्ठक और शब्द "(जिसमें कार्मिकों से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं)" अन्त:स्थापित किए जाएं ।

8 अनुसूची –घ में, –

(एक) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द "दायित्व" के पश्चात्, कोष्ठक और शब्द "(जिसमें कार्मिकों से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं)" अन्त:स्थापित किए जाएं ।

(दो) उप शीर्ष चार–सामान्य के अधीन, मद (2) में , शब्द "दायित्व" के पश्चात् कोष्ठक तथा शब्द "(जिसमें कार्मिकों से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं) अन्त:स्थापित किए जाएं ।

9 अनुसूची –ड. में, –

(एक) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द "दायित्व" के पश्चात् कोष्ठक और शब्द "(जिसमें कार्मिकों से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं)" अन्त:स्थापित किए जाएं ।

(दो) उप शीर्ष – चार –सामान्य के अधीन मद (2) में, शब्द "दायित्व" के पश्चात्, कोष्ठक और शब्द "(जिसमें कार्मिकों से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं)" अन्त:स्थापित किए जाएं ।

10 अनुसूची –च में, –

(एक) मद (2)के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित की जाए , अर्थात :-

"(2) आस्तियां और दायित्व उस सीमा तक जो अनुसूची 'क' से 'ड.'के अधीन पांच कंपनियों को अंतरित नहीं किए गए हैं, मंडल (बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के निदेशों, यदि कोई हों, के अध्यधीन रहते हुए प्रतिधारित किए जाएंगे ।";

(दो) मद (5) के पश्चात्, निम्नलिखित नई मद अन्त: स्थापित की जाए , अर्थात :-

"(6) ऐसी कार्यालयीन स्थापना तथा अन्य भवन और भूमि जो अनुसूची 'क' से 'ड.' में अन्यत्र कहीं वर्णित न हो, और जो मुख्यालय जबलपुर और दिल्ली में अथवा किसी अन्य स्थान पर स्थित हो तथा मुख्यतः दो या दो से अधिक कंपनियों के अधिभोग में हो / उपयोग में लाई जा रही हो, जैसे इस आदेश की तारीख को जबलपुर मुख्यालय में स्थित शक्तिभवन परिसर और अन्य

कार्यालयीनशेड,रेस्टहाउस,कालोनियां ,मुख्य हास्पिटल, विद्यालय (स्कूल), क्लब और दिल्ली में स्थित रेस्ट हाउस आदि ।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

एस.पी.एस. परिहार, सचिव

भोपाल, दिनांक 13 जून, 2005

कमांक 4003–एफ.आर.एस.–17–तेरह–2002 :– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, म.प्र. विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

एस.पी.एस. परिहार, सचिव

Energy Department
Mantralaya, Vallabh Bhavan
Bhopal, the 13th June 2005

NOTIFICATION

No. 4003-FRS-17-13-2002 - In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (5), (6) and (7) of section 131 and section 133 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-sections (1), (2) and (3) of section 23, section 24 and sub-section (2) of section 56 of the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No. 4 of 2001), the State Government hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Electricity Reform First Transfer Scheme Rules, 2003, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 3,-

(i) in clause (e), for the word "recognized" the word "functioning" shall be substituted;

(ii) in clause (f), for the word "Act" the words "Act/Central Act" shall be substituted;

(iii) in clause (h), for the word "Commissioneries" the words "area of jurisdiction of Commissioneries" shall be substituted;

(iv) in clause (i), for the word "Commissioneries" the words "area of jurisdiction of Commissioneries" shall be substituted;

(v) in clause (j), for the word "Commissioneries" the words "area of jurisdiction of Commissioneries" shall be substituted;

(vi) in clause (s), for the word "Act" the words "Act/Central Act" shall be substituted;

(vii) in clause (t), for the words "rights and liabilities" the word "rights, liabilities, and personnel" shall be substituted.

2. For rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

Transfer of undertaking to the State. "5. "On and from the date of transfer to be notified by the State Government the properties and all interests, rights and liabilities of the Board as specified in Schedules 'A' to 'E' including personnel related liabilities shall stand transferred to and vested in the State Government for the purposes of the Transfer Scheme under these Scheme Rules.".

3. In rule 6, in sub-rule (1), (2), (3), (4) and (5) for the word "Act" the words "Act/Central Act" shall be substituted.

4. In rule 7,-

(i) in clause (b) of sub-rule (2), for the words "shall be deemed to have" the words "shall be deemed to have been" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3) for the word "Act" the words "Act/Central Act" shall be substituted;

(iii) in sub rule (4), the following para shall be added at the end; namely:-

"However, no personnel shall be retrenched at the time of reorganization and transfer under these scheme rules and their service, rank and their seniority shall be protected." ;

(iv) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted namely:-

"(5) For the purpose of sub-rule (4), the State Government shall, in consultation with Genco, Transco, Discoms and the Board, constitute a

Committee as the State Government may consider appropriate to-

(a) receive representations from the personnel after their assignment to the companies under clause (a) and (b) of sub-rule (2) and before their absorption in the transferee,

(b) hear the aggrieved personnel who may take assistance from the representatives of the Employees Association or Unions of Board, as the case may be; and

(c) make recommendation after hearing on such transfer and absorption, within such time as State Government may by notification specify for the purpose giving due weightage to the career prospects and the representation of the personnel.";

(v) in sub rule (6), for the word "recommendation" the words "reasoned and cogent recommendations" shall be substituted;

(vi) in sub rule (7), the following para shall be added at the end, namely:-
"Such transfer shall not adversely affect the existing service conditions including cadre, scale of pay and such other benefits, irrespective of the cadre strength of the Transferee.";

(vii) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(8) Subject to the provisions of the Act/Central Act and these Scheme Rules, the transferee shall be entitled to modify or frame new regulations governing the conditions of service of personnel transferred to the transferee under these Scheme Rules:

Provided that such terms and conditions on the transfer shall not, in any way, be less favourable than those which would have been applicable to them if there had been no such transfer under the transfer scheme including their rank, scale of pay, salary, allowances, other pecuniary benefits and terminal benefits etc.";

(viii) for sub-rule (10) and (11), the following sub-rules shall be substituted respectively, namely:-

"(10) In regard to the funding of the pension funds and other personnel related funds by the transferees to the extent they are not funded on the date of the transfer of the personnel from the Board

including the due payment of the amounts to personnel who retire after the date of the transfer, by the respective transferees to which these personnel are transferred following arrangements, but not limited to them, shall be made and till such time such payments shall be duly made by the Board:-

(a) All the personnel of the Board who retire after the date of the transfer shall be the pensioners of the respective transferees to which these personnel are transferred and they shall be paid pension and other terminal benefits regularly by the respective transferees. The priority of payment of the terminal benefits to such pensioners shall be at par with the payment of salary and wages to the personnel of the respective transferees. However, the contributions towards the pension and other terminal benefits for the past service rendered by the personnel up to the date of transfer in MPSEB/MPEB, shall be made by Transco and contributions for the part of service rendered under the transferee shall be provided by the respective transferee.

(b) A separate fund shall be created by the transferees for payment of pension and other terminal benefits of the personnel who retire after the date of the transfer through regular subscription of appropriate amount into a Terminal Benefits Trust being created by the State Government.

(c) The amount of pension and other terminal benefits payable each year, as well as subscription to the fund to be built-up for payment of pension and other terminal benefits in future, to the personnel of the Board, who retire after the date of transfer, shall be a charge on the revenues of the respective transferee, till the requisite fund is built up with the Terminal Benefit Trust.

"(11) In regard to the funding and due payment of the terminal benefits to the existing pensioners of the Board as on the date of the transfer following arrangements, but not limited to them, shall be made and till such time such payments shall be duly made by the Board:-

(a) All the existing pensioners of the Board, as on the date of transfer of the personnel, shall be treated as deemed transferred to the Transco and they shall be paid terminal benefits regularly by the Transco. The priority of payment of the pension and other terminal benefits to the existing pensioners shall be at par with the payment of salary and wages to the personnel of the Transco.

(b) A separate fund shall be created by Transco for payment of pension and other terminal benefits of the existing pensioners through regular subscription of appropriate amount into a Terminal Benefits Trust being created by the State Government.

(c) The amount of pension and other terminal benefits payable during each year, as well as subscription to the fund to be built-up for payment of pension and other terminal benefits in future, to the existing pensioners as on the date of transfer, shall be a charge on the revenues of the Transco till the requisite fund is built up with the Terminal Benefit Trust.

Explanation: For the purpose of sub-rule 10 and11, the term:

(i) "Existing Pensioner" means all the persons eligible for the pension as on the date of the transfer from the Board and shall include such family members of the personnel who are entitled for pension and other terminal benefits, and

(ii) "Terminal Benefits" means the gratuity, pension, dearness allowance and other applicable relief, medical benefit, and other applicable benefits including the right to have the appropriate revisions in the above benefits consistent with the practice that were prevalent in the Board.".

5. In Schedule – A,-

(i) in the opening paragraph, after the word "liabilities". the bracket and words "(including personnel related liabilities)" shall be inserted;

(ii) under the sub-heading V – General, in item (2), after the word "liabilities" the bracket and the words "(including personnel related liabilities)" shall be substituted.

6. In Schedule – B,-

(i) in the opening paragraph, after the word "liabilities" the bracket and the words "(including personnel related liabilities)" shall be substituted;

(ii) under the sub-heading IV – General,-

(a) after item (1), the following new items shall be inserted, namely:-

"(1a) Transco has been declared State Transmission Utility (STU) w.e.f. 1.6.2004 vide Notification No. 2491/13/2004 dated 17.5.2004.

(1b) State Load Despatch Centre (SLDC) has been established at Jabalpur vide Government of Madhya Pradesh order No. 2489/13/2004 dated 17.5.2004 and shall be operated by State Transmission Utility (STU) till it is notified as an independent agency by Government of Madhya Pradesh.".

(b) in item (2), after the word "liabilities" the bracket and words "(including personnel related liabilities)" shall be inserted.

7. In Schedule – C,-

(i) in the opening paragraph, after the word "liabilities" the bracket and words "(including personnel related liabilities)" shall be inserted;

(ii) under the sub-heading IV – General, in item (2), after the word "liabilities" the bracket and words "(including personnel related liabilities)" shall be inserted.

8. In Schedule – D,-

(i) in the opening paragraph, after the word "liabilities" the bracket and words "(including personnel related liabilities)" shall be inserted;

(ii) under the sub-heading IV – General, in item (2), after the word "liabilities" the bracket and words "(including personnel related liabilities)" shall be inserted.